ााामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
(1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003)
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
(Tollfree Helpline for Persons with Disability -1800 233 4397)
E-mail address: dpswbpl@nic.in

कमांक / निःक0–5 / 2014 / 1209 भोपाल,दिनांक 21-07-2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

2. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

विषयः— निःशक्त बालक / बालिकाओ के लिये छात्रगृह योजना 2008 का प्रभावी कियान्वयन करने के संबंध में ।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानुसार, निःशक्त व्यक्तियो के शैक्षणिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये निःशक्त छात्र / छात्राओ के लिये छात्रगृह 2008 योजना लागू है । सहज संदर्भ हेतु योजना की प्रति संलग्न है ।

2. छात्रगृहो का संचालन कक्षा 11 तथा उससे उपर की कक्षाओ में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओ के उपयोग के लिये है । छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन लेकर की जा सकती है । रूपये 750 / – (सात सौ पचास) प्रतिमाह तक का भवन किराये पर लेने के लिये शिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रस्ताव तैयार कर संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय से सक्षम स्वीकृति ले सकेगे । रूपये 1500 / – (एक हजार पांच सौ) तक मासिक किराये का भवन लेने के लिये कलेक्टर के अनुमोदन से विभागीय जिला अधिकारी तथा इससे अधिक किराये का भवन लिये जाने की स्वीकृति देने के लिये कलेक्टर अधिकृत है। भवन का किराया निर्धारण के लिये कलेक्टर सक्षम रहेंगे । छात्रगृह मे कम से कम पांच छात्र / छात्राओ हेतु पृथक पृथक छात्रगृह होंगे ।

3. छात्रगृह हेतु छात्र / छात्राओ के माता / पिता / पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000 / – (छियान्वे हजार) रखी थी । म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय विभाग के आदेश कं एफ 3–26 / 2013 / 26–2 भोपाल दिनांक 19.7.2013 से निःशक्त व्यक्तियो के सामाजिक पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के उद्वेश्य से संचालित सभी शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओ में पात्रता के मापदंड में निःशक्त छात्र / छात्रा के माता पिता / पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000 / – के बंधन को समाप्त किया है । सह संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न ।

4. छात्रगृह में बिजली /पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/- (एक हजार) प्रतिमाह के मान से शासन की ओर से वहन होगा, इससे अधिक व्यय उक्त छात्रगृह में निवासरत छात्रो द्वारा आपस मे बराबर बराबर व्यय किया जावेगा । भवन किराये का भुगतान संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा संबंधित स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से भवन मालिक को किया जावेगा । इस प्रकार विभाग द्वारा छात्रगृह के किराया, विद्युत एवं जलकर का भुगतान किया जावेगा, शेष अन्य व्यय जैसे बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, भोजन, पानी, साफ सफाई, अखबार, स्वीपर आदि व्यवस्था छात्र/ छात्राओ से निजी तौर पर करना होगी ।

5. छात्रगृह योजना का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओ के माध्यम से भी करवाया जा सकता है, ताकि ऐसे निःशक्त जिन्हे देखभाल की आवश्यकता हो, उनकी समुचित देखभाल एन0जी0ओ0 द्वारा की जा सके । भोजन आदि की व्यवस्था भी तद्नुसार की जा सकती है जिसका भुगतान हितग्राही को स्वयं करना होगा ।

6. यह देखने में आया है कि ऐसे कई निःशक्त छात्र/छात्राएं है जिन्हे छात्रावास एवं अन्य स्थान पर आवास व्यवस्था सुलभ न होने से कठिनाई आती है । अतः ऐसे निःशक्तो को छात्रगृह योजना में लाभ दिलवाने की व्यवस्था की जावे, ताकि वे अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से पूर्ण कर सके । योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जावे, ताकि निःशक्तो को इसकी जानकारी हो सके ।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

(व्ही0के0 बाथम)
आयुक्त पदेन सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक/निःक0-5/ /2014/1210 भोपाल,दिनांक21.07.2014

प्रतिलिपिः

1- अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2- समस्त संभागीय आयुक्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3- आयुक्त, जनसंपर्क, समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ ।

आयुक्त पदेन सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

sateesh

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक/एफ–3–44/2008/26–2, भोपाल,दिनांक, 8 / 9 /2008

विषयः– निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह योजना–2008

–––0––

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानानुसार, निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षणिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए छात्रगृह योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

छात्रगृह योजना का क्रियान्वयन निम्न शर्तों के अधीन किया जावेगाः–

1/ छात्रगृहों का संचालन :–

छात्रगृहों का संचालन कक्षा 11 तथा उससे ऊपर के छात्र–छात्राओं के उपयोग तक सीमित रहेगा अर्थात् इनमें कक्षा 11 वीं से नीचे के छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। जहाँ छात्रगृह स्थापित किये जायेंगे वहाँ बालिकाओं के लिए पृथक एवं बालकों के लिए पृथक छात्रगृह का संचालन पृथक–पृथक भवनों में किया जावेगा ।

2/ छात्रगृह के लिए भवन :–

प्राचार्य, अपनी शिक्षण संस्था के लिये शिक्षण संस्था मुख्यालय में और जिला विभागीय अधिकारी शिक्षण संस्थाओं की संख्या छात्रावासों में सुलभ स्थान, स्वयं के विवेक, छात्रों की मांग आदि के प्रकाश में जिले के किसी भी स्थान पर छात्रगृह संचालन का निर्णय ले सकेंगे जो कक्षा 11 से मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओ की उपलब्धता, संभावना एवं आवश्यकता पर आधारित होगा। छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन लेकर की जा सकती हैं। रूपये 750/–– माहवार तक का भवन किराये पर लेने के लिये शिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित सक्षम स्वीकृति हेतु सयुक्त संचालक/जिला उप संचालक,

सामाजिक न्याय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। रूपये 1500/– तक मासिक किराये का भवन लेने के लिए विभागीय जिला अधिकारी सक्षम होंगे, किन्तु स्वीकृति के पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। इसके ऊपर किराये का भवन लिये जाने की स्वीकृति देने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत रहेगें। भवन का किराया निर्धारण के लिए कलेक्टर सक्षम रहेंगे एवं इस राशि का भुगतान शैक्षणिक कलेण्डर के लिए ही होगा।

3/ **छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम आवश्यकता :–**

छात्रगृह की स्थापना, संचालन व्यय तथा सुविधाओं की स्वीकृति तभी संभव हैं जब कम से कम पाँच (अधिकतम सीमा नही हैं) छात्र–छात्रायें छात्रगृह में रहने के लिये इच्छुक हों, जिसके लिये उनका लिखित आवेदन–पत्र अभिलेख में आधार स्वरूप रखा जाना आवयश्यक हैं।

4/ **छात्रगृह में प्रवेश:–**

प्रवेश देने के लिये शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य सक्षम रहेंगे। छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र–छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्था में कक्षा 11 या इससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश लिया है, मैट्रिकोत्तर छात्रवृति की पात्रता रखते हों, या स्वीकृत हो चुकी हो, जिनका चरित्र उत्तम हो, जो योजना की पूर्ति एवं नियमों के पालन के लिये वचनबद्ध हों तथा जिनके माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000/–से अधिक नहीं हो तथा छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। ऐसे छात्र–छात्राओं को केवल छात्रावासी दर पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देय होगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रगृह के छात्र–छात्राओं को राज्य छात्रवृति या शिष्यवृत्ति की पात्रतां नही हैं । प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा।

5/ **छात्रों को क्या देना होगा :–**

प्रत्येक छात्रगृह में बिजली तथा पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/–प्रतिमाह का खर्च शासन की ओर से वहन किया जावेगा। यदि व्यय

इससे अधिक हुआ तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्रो के द्वारा बराबर–बराबर किया जायेगा ।

6/ **मकान किराया एवं बिजली, पानी का भुगतान कैसे होगा :–**

निर्धारित किराये की दर पर या उपरोक्त की शर्त पर लिये गये मकान के किराये का भुगतान प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें वर्ष में इस योजना अंतर्गत दिये गये आबंटन से बिल बनाकर कोषालय से राशि आहरण करके सीधे मकान मालिक को भुगतान करना होगा। इसी प्रकार आवंटन से विद्युत एवं जल के बिल का भुगतान प्राचार्य/जिला विभागीय अधिकारियों द्वारा ही किया जावेगा। इस प्रकार नियमित छात्रावास संचालन हेतु लिये गये किराये के मकान एवं छात्रगृह योजना के संचालन हेतु लिये गये किराये के मकान का भाड़ा एवं विद्युत जल के भुगतान में कोई अंतर नही हैं। यह दोनों भुगतान विभागीय रूप से ही मकान मालिक/विद्युत मण्डल/जलकर विभाग को नियमित रूप से प्राचार्य भुगतान करेंगे। प्राचार्य राशि की मांग संभागीय/जिला विभागीय अधिकारी सामाजिक न्याय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे तथा संभागीय/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा राशि का आहरण कर संबंधित प्राचार्य को उपलब्ध करायेंगे तथा प्राचार्य मकान मालिक/संस्था को भुगतान कर पावती/रसीद लेकर रिकार्ड में रखेंगे।

7/ **मकान किराये पर लेना :–**

ऐसी संभावना सुनिश्चित होने पर कि छात्रगृह का संचालन हो, जिला विभागीय अधिकारी अथवा प्राचार्य मकान का अवलोकन करके बिजली, पानी, शौचालय, भवन पक्का/अच्छी अवस्था में शिक्षण संस्थाओं की निकटता, छात्र–छात्राओं की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर भवन प्रभार में ले लेगा एवं छात्रों को प्रवेश देकर छात्रगृह का संचालन प्रारंभ करायेंगे।

छात्रगृह के लिये एक बार उचित मकान लेने पर एवं छात्रगृह का संचालन सफल होने पर मकान/भवन निरन्तर रखा जावेगा, अर्थात ग्रीष्म अवकाश में मकान खाली करने की आवश्यकता नही हैं। ऐसा मकान/भवन लिया जावे जो छात्रों को आकर्षित करे एवं उनकी सुविधाओं के हिसाब से उपयुक्त हो। छात्रों की संख्या के

हिसाब से तथा छात्रगृह के किराये की भुगतान राशि पर संतुलित ढंग से ध्यान रखा जावेगा।

विभाग केवल मकान किराया, विद्युत एवं जलकर देगा। बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, राशन–पानी, साफ–सफाई, अखबार, स्वीपर आदि शेष व्यवस्था छात्र/छात्राओं को स्वयं निजी तौर पर करनी होगी। इसके लिये विभाग का कोई दायित्व नहीं हैं। छात्रों को एक परिचय पत्र जारी किया जावेगा जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, जाति, छात्रगृह में प्रवेश आवेदक का क्रमांक एवं दिनांक शिक्षण संस्था का नाम एवं उसकी फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित रहेंगे। छात्रगृह का निरीक्षण विभाग का कोई भी अधिकारी कर सकेगा। इस संबंध में ऐसी व्यवस्था अपनाई जावे कि रोस्टर में छात्रगृह के निरीक्षण का भी बिन्दू रहे एवं छात्रगृहों का निरीक्षण भी नियमित रूप से होता रहे। वर्ष के अंत में परीक्षाफल एवं संस्था का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कमियों की पूर्ति एवं त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। संस्था में एक छात्र नायक नामजद किया जावेगा जो छात्र हाजरी रजिस्टर एवं छात्रगृह के निरंतर संचालित रहने के तथ्य की पुष्टि एवं प्रमाणीकरण करने हेतु अधिकृत रहेगा। छात्रगृह में निरीक्षण पुस्तिका रखी जाये। छात्रगृह के छात्रों की प्रगति शिक्षण संस्थाओं से भी ज्ञात की जाते रहे। छात्रगृह पर संस्था का बोर्ड लगाया जावे व उसे संस्था के किसी शिक्षक की देखरेख में किया जावे। छात्रगृह छात्रों द्वारा संचालित एवं आत्मसंयम से नियंत्रित संस्था हैं। छात्रगृह के सुचारू रूप से संचालन की एक नियमवाली या समयचक्र संबंधित प्राचार्य द्वारा बनाई जाये ।

8/ **छात्रगृह का रख रखाव :–**

मकान/भवन में विशेष मरम्मत का कार्य मकान मालिक का दायित्व होगा। वर्ष में एक बार दिपावली अवकाश में मकान की वार्षिक पुताई भी मकान मालिक को करना होगी जिसके उपयोग के दौरान बिजली के स्वीच, वायर, बल्व, ट्यूबलाईट तथा सीवेंज टेंक की मरम्मत एवं सफाई के कार्य का दायित्व भी भवन/मकान मालिक का होगा। छात्रगृह का रख–रखाव सदैव अच्छी हालत में रहे जिससे कि वहाँ का वातावरण उत्साहवर्धक बना रहे ।

अनुबंधक :- मकान/भवन लेते समय जो अनुबंध किया जावे उसमें उपरोक्त बातों का समावेश किया जावे। सक्षम अधिकारी द्वारा किराया निर्धारण होने तक की बीच की अवधि के लिए मकान मालिक को अंतिम समायोजन की शर्त पर तदर्थ किराया प्रांचार्य/जिला विभागीय अधिकारी द्वारा भी अधिकृत की गई सीमा में स्वविवेक से तदर्थ स्वीकृत किया जाकर मकान मालिक को नियमित दिया जाना जारी रखा जावेगा, ताकि वह भवन का विशेष एवं साधारण वार्षिक रखरखाव जारी रख सके तथा वित्तीय वर्ष का आबंटन लेप्स न हो। अंतिम हिसाब–किताब वाजिब किराया निर्धारण दर से सपन्न होगा ।

भवन स्वामी और विभाग के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता हैं तो उसका निराकरण दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। जिनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों को मान्य तथा बंधनकारी होंगा । यह शर्त भी अनुबंध पत्र में अनिवार्य रूप से लेखी कराया जाना चाहिए ।

(टीनू जोशी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पृ0क्रमांक/एफ–3–44/2008/26–2 भोपाल दिनांक 8/9/2008

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/ अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त,सामाजिक न्याय,1250 तुलसी नगर,भोपाल,म.प्र.
4. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,सामाजिक न्याय,म.प्र.
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला संयोजक, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश

अवर सचिव 8/9/08
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये छात्रगृह योजना के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

शैक्षणिक वर्ष 200 — 200

(छात्रगृह योजना कक्षा 11वी तथा उससे ऊपर के नियमित छात्र/छात्राओं के लिये)

विकलांगता दर्शाता छात्र/छात्रा का नवीनत फोटो

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम–..............................
छात्र/छात्रा..............

2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम–..............................
माता का नाम..............................

3. स्थायी निवास का पूरा पता(मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)..............................
....
....

4. निःशक्तता का प्रकार(निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें)..............................

5. छात्र/छात्रा की जन्मतिथि–..............................

6. अध्ययनरत छात्र/छात्रा के शैक्षणिक संस्थान का नाम..............................
....

7. छात्र/छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है–..............................
कक्षा में प्रवेश का दिनांक..............................

8. छात्र/छात्रा का शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का दिनांक..............................

9. छात्र/छात्रा का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें–..............
....

10. छात्र/छात्रा का धर्म–..............................

11. विगत वर्ष में छात्र / छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (अंकसूची संलग्न करें)...
....

12. छात्र / छात्रा के माता / पिता / पालक / अभिभावक की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)–रूपये...

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है कोई भी असत्य जानकारी पायी जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा। छात्रगृह योजना हेतु मेरे द्वारा शासन के नियम / निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है। नियमों में दर्शायी गई सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान

दिनांक छात्र / छात्रा का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर

....

पिता / पालक / अभिभावक का नाम तथा हस्ताक्षर

....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण–

(1)....................................(2)...(3)...

(4)....................................(5)...(6)...

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र / छात्रा(श्री / कुमारी).................................. ....आत्मज श्री / श्रीमती.. विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान...में दिनांक.......................को कक्षा...में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है। छात्र / छात्रा का व्यवहार / चरित्र उत्तम है तथा उसे विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान अथवा अन्य किसी संस्थान में छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। छात्र / छात्रा को छात्रगृह योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख का नाम तथा हस्ताक्षर एवं मद मुद्रा सहित

संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालयीन उपयोग हेतु

श्री / कुमारी.......... ....आत्मज श्री / श्रीमती.................. ....संस्था प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर छात्रगृह में प्रवेश की पात्रता होने के कारण छात्रगृह का स्थान एवं पता (छात्रगृह) ....में दिनांक.................. ....से प्रवेश दिया जाता है।

नोट—आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण / टीप अंकित करें.................

....

....

स्थान—

दिनांक

हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा सहित

संयुक्त संचालक / उप संचालक

सामाजिक न्याय,

जिला........................

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग,
//मंत्रालय, //
वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 12.7.2013
15-7-2013

कमांक एफ 3-26/2013/26-2 / राज्य शासन एतद् द्वारा (निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुर्नवास एवं सशक्तीकरण के उद्देश्य से संचालित सभी **शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं** में पात्रता के मापदण्ड में निःशक्त छात्र/छात्रा के माता-पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96,000 (रूपये छियान्वे हजार) के बंधन को समाप्त करता है ।

2- उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(व्ही.के.बाथम)
सचिव,
मध्ययप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

कमांक एफ 3-26/2013/26-2 भोपाल, दिनांक 12.7.2013
15-7-2013

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय भोपाल
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
8. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म.प्र., भोपाल
9. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
10. आयुक्त, निःशक्तजन, म.प्र.
11. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग,

12. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
11. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
14. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय, म.प्र.

सचिव,
मध्ययप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग